RITES
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
RITES LIMITED
(Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India)

सं.: राइट्स/रा.भा./8
दिनांक: 09.05.2022

विषय: रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 61वीं बैठक से संबंधित मदो पर अनुवर्ती कार्रवाई।

माननीय रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 05 मई, 2022 को रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 61वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राइट्स** ने भी भाग लिया। बैठक में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

क्र. सं.	**अपेक्षित कार्रवाई**
01	कार्यालय के कामकाज में सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाए। यदि किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द तत्काल न मिल रहा हो तो उस शब्द का लिप्यंतरण (Transliteration) कर लिखा जाए। किंतु लिप्यंतरण का अनावश्यक प्रयोग न किया जाए ताकि हिंदी भाषा का मौलिक स्वरूप बना रहे।
02	सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों में हिंदी भाषा के उपयोग पर बल दिया जाए। आमंत्रित व्याख्याताओं को भी इस संबंध में अग्रिम रूप से अगवत कराया जाए।
03	राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।
04	कार्यालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।
05	'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के साथ पत्राचार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाए तथा नोटिंग हिंदी में की जाए।
06	'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
07	सभी सूचना-पट्ट, नाम-पट्ट एवं मोहरें आदि अनिवार्यतः द्विभाषी बनाए जाएं। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले नामों के बोर्डों, नोटिस बोर्ड आदि में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए, जिसका क्रम भी इसी रूप में हों।

कृपया उपर्युक्त सभी बिंदुओं पर यथापेक्षित कार्रवाई करने का अनुग्रह करें।

सु. कुमार 09/05/22

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त महाप्रबंधक/राजभाषा

<u>वितरण:</u>

कार्यकारी निदेशक- मुख्य लोक अधिकारी, बीएंडए, एक्सपोटेक, क्यूए, वर्कशॉप, आरईएस, यूआई, आरपी, पीएंडसी, हाइवे
समूह महाप्रबंधक/महाप्रबंधक- एक्सपोटेक, क्यूए, विद्युत इंजीनियरिंग, आरपीओ/दिल्ली, एसएंडटी, टीएंड एस, बीपी, आरईएस, वर्कशॉप, हाइवे/निर्माण, यूटी/जीसी, सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन, मानव संसाधन, वित्त/एफई, एमएंडसीसी, पीएंडसी, आईटी, पोर्ट एंड वाटरवेज, एयरपोर्ट, यूटी, आरपीओ/अहमदाबाद, सतर्कता, टीएंडई, सीएसआर, लीगल, कंपनी सचिव, हाईवे/डिजाइन, डीएफसी, नवीकरणीय ऊर्जा
स.म.प्र.(पी)/म.प्र.(पी) - लखनऊ, नागपुर, सिकन्दराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, रायगढ़
स.म.प्र./म.प्र.(निरीक्षण): उत्तर क्षेत्र-दिल्ली, पश्चिम क्षेत्र-मुंबई, पूर्व क्षेत्र-कोलकाता, दक्षिण क्षेत्र-चेन्नै, मध्य क्षेत्र- भिलाई स.म.प्र(यूआई)/नागपुर, म.प्र.(यूआई)/मुंबई, म.प्र.(यूटी)/बैंगलोर, म.प्र.(हाइवे)/कोलकाता, म.प्र.(यूआई)/अहमदाबाद

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थः</u>

संयुक्त महाप्रबंधक/विशेष सचिव- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक वित्त, निदेशक तकनीकी, निदेशक परियोजना, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आरईएमसीएल
अपर महाप्रबंधक (आईटी)- कृपया राइट्स कर्मचारी पोर्टल पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करे।

कॉर्पोरेट कार्यालयः राइट्स भवन, नं. 1, सेक्टर–29, गुड़गाँव–122 001 (भारत), **Corporate Office:** RITES Bhawan, No.1, Sector-29, Gurgaon-122 001 (INDIA)
पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110 092 (भारत), **Registered Office:** SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi- 110 092 (INDIA)
दूरभाष (Tel.): (0124) 2571666, **फैक्स** (Fax): (0124) 2571660, **ई.मेल** (E-mail) info@rites.com **वेबसाइट** (Website): www.rites.com
CIN: L74899DL1974GOI007227